न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 161 / 2022

गुरदीप सिंह पुत्रजगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी एफ–16 शालीमार बाग, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थी**

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजरथान – जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
2. जगसीर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी एफ–16 शालीमार बाग, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर ।

—– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–09.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अनवान सदर का वाद श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है जिसके तथ्यों को देखते हुए वाद के डिग्री होने की प्रबल सम्भावना है। तथ्यों की पुनरावर्ती न हो इसलिए इस आवेदन–पत्र को दावे का अभिन्न अंग माना जाकर उसके साथ ही पढा जावे। चक 19 एल एन पी गणेशगढ खाता संख्या पुराना 26 नया 31 के मुरब्बा नम्बर 44 में आवेदक के पिता के नाम से मुश्तर्का खाता में 3145 / 6287 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में नाम है जिसका आवेदक के पिता पूर्ण से खातेदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 के नाम मुरब्बा नम्बर 44 में मुश्तर्का खाता में 3142 / 6287 है. भूमि दर्ज है। आवेदक के पूर्वजों की जमीन तहसील मुक्तसर (पंजाब) में गांव में थी और उसके साथ राजस्थान में चक 19 एल एन पी में भी भूमि थी। आवेदक के पिता द्वारा हिस्से के अनुसार दोनों [illegible] भूमि विरासत में प्राप्त की थी। आवेदक का पिता नशे का आदी हो [illegible] है इसलिए उसने पंजाब की भूमि तो पूर्व में सारी खुर्द-बुर्द कर [illegible] केवल भूमि शेष बची है जो चक 19 एल एन पी में है अब प्रतिवादी सं. 2 इसे भी खुर्द बुर्द करने के प्रयास में है। आवेदक, अनावेदक सं. 2 [illegible] इकलौता पुत्र है जो जगसीर सिंह का बतौर वारिस भी है। वादग्रस्त भूमि अनावेदक सं. 2 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बतौर विरास्त अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी उसमें से कुछ भूमि पंजाब में मिली व कुछ भूमि यहां राजस्थान में मिली। चक 19 एल एन पी की भूमि जो मुरब्बा नम्बर 44 में है वह आवेदक के पिता को अपने पूर्वजों से मिली थी जो जदी जायदाद है जिसमें आवेदक का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए आवेदक वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि लेने का अधिकारी है जिसका आवेदक का जन्म से अधिकार है। इसलिए आवेदक ने अपना हक लेने के लिए अनावेदक सं. 2 को कहा कि भूमि मेरे नाम से करवा दो। इस सम्बन्ध में आवेदक व अनावेदक सं. 2 की आपस में परिवार के साथ मीटिंग भी हुई लेकिन अनावेदक सं. 2 ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। वादग्रस्त भूमि जदी जायदाद है जदी जायदाद में आवेदक का जन्म से अधिकार है। चक 19 एल एन पी मुरब्बा नम्बर 44 में 3145/6287 हिस्से में 1/2 हिस्सा आवेदक का हक व हिस्सा है लेकिन अनावेदक सं. 2 इसका हक नहीं दे रहा है। इसलिए आवेदक अपने अधिकारों की घोषणा की डिग्री पारित करवाकर 1/2 हिस्से की डिग्री लेने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि अनावेदक संख्या 2 के नाम से है। आवेदक ने अनावेदक संख्या 2 को कहा कि इसको रहन बैय मत करो लेकिन अनावेदक सं. 2 ने साफ मना कर दिया व धमकी दी कि जमीन मेरे नाम से है मैं तो इसे बेचूंगा। वादग्रस्त भूमि जदी जायदाद है जिस पर आवेदक का जन्म से अधिकार है। जदी जायदाद के आधार पर आवेदक ने दावा पेश किया है। यदि दौराने दावा जमीन खुर्द बुर्द हो जाती है तो आवेदक के हितों पर कुठाराघात होगा जिससे आवेदक को नापूरा होने वाला नुकसान होगा, आवेदक को अपरिमेय क्षति होगी। ऐसी सूरत में आवेदक, अनावेदक सं. 2 के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने का अधिकारी है कि दौराने दावा अनावेदक सं. 2 वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय व अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से निषेध रहे। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतूलन व अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदक के पक्ष में साबित है। अतः आवेदन–पत्र अं.धा. 212 आर टी एक्ट मय शपथ–पत्र पेश करके निवेदन है कि वाद–पत्र के लम्बनकाल के दौरान अनावेदक सं. 2 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि चक 19 एल एन पी मुरब्बा नम्बर 44 में 3145/6287 है. भूमि को रहन बैय अथवा दीगर तरीके से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी विधिवत होने एवं अप्रार्थी संख्या 2 के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि वादग्रस्त भूमि जदी जायदाद है जदी जायदाद में प्रार्थी का जन्म से अधिकार है। चक 19 एल एन पी मुरब्बा नम्बर 44 में 3145/6287 हिस्से में 1/2 हिस्सा प्रार्थी का हक व हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी सं. 2 इसका हक नहीं दे रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने अधिकारों की घोषणा की डिग्री पारित करवाकर 1/2 हिस्से की डिग्री लेने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से है। अप्रार्थी को आवेदक ने कहा कि इसको रहन बैय मत करो लेकिन अप्रार्थी सं. 2 ने साफ मना कर दिया व धमकी दी कि जमीन मेरे नाम से है मैं तो इसे बेचूंगा। वादग्रस्त भूमि जदी जायदाद है जिसपर प्रार्थी का जन्म से अधिकार है। अतः वाद–पत्र के लम्बनकाल के दौरान अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा पारित की जावे कि चक 19 एल एन पी मुरब्बा नम्बर 44 में 3145/6287 है. भूमि को रहन बैय अथवा दीगर तरीके से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पिता हैं। प्रार्थी द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाद पारिवारिक सदस्यों पिता–पुत्र के मध्य है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए, सम्पत्ति की संरक्षा के लिए एवम् वाद के न्यायनिर्णन हेतु प्रकरण में निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में स्थगन इस आशय का जारी किया जाता है कि चक 19 एलएनपी के खाता संख्या 31/26 में अप्रार्थी संख्या 2 जगसीर सिंह पुत्र मल सिंह का हिस्सा 3145/6287 भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 रहन बैय अथवा दीगर तरीके से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 163/2022 बअनवान गुरदीप सिंह बनाम सरकार रहे।

आदेश आज दिंनाक 09.09.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner